

एसएसई के माध्यम से सामाजिक कल्याण और पूंजी बाजार का संयोजन

द हिन्दू

पेपर-III
(भारतीय अर्थशास्त्र)

22 फरवरी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) स्थापित करने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से अंतिम स्वीकृति प्राप्त हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में केन्द्रीय बजट पेश करते हुए बाजार नियामक के दायरे में स्टॉक एक्सचेंज बनाने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव दिया था। उसने तर्क दिया था कि यह "अपने पूंजी बाजार को जनता के करीब ले जाने और समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण उद्देश्यों को पूरा करने का समय था।" सितंबर 2021 में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है?

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज के भीतर एक अलग खंड के रूप में कार्य करेगा और सामाजिक उद्यमों को अपने तंत्र के माध्यम से जनता से धन जुटाने में मदद करेगा। यह उद्यमों के लिए उनकी सामाजिक पहलों के लिए वित्त प्राप्त करने, दृश्यता प्राप्त करने और धन जुटाने एवं उपयोग के बारे में अधिक पारदर्शिता प्रदान करने के लिए एक माध्यम के रूप में काम करेगा। खुदरा निवेशक केवल मुख्य बोर्ड के तहत लाभकारी सामाजिक उद्यमों (एसई) द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। अन्य सभी मामलों में, केवल संस्थागत निवेशक और गैर-संस्थागत निवेशक एसई द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।

योग्यता के बारे में

कोई भी गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) या फायदेमंद सामाजिक उद्यम (FPSEs) जो सामाजिक इरादे की उत्कृष्टता स्थापित करता है, उसे एक सामाजिक उद्यम (एसई) के रूप में मान्यता दी जाएगी, जो इसे एसएसई में पंजीकृत या सूचीबद्ध होने के योग्य बना देगा।

सेबी के आईसीडीआर (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2018 के विनियम 292E के तहत सूचीबद्ध सत्रह प्रशासनीय मानदंड यह कहते हैं कि उद्यमों को भूख, गरीबी, कुपोषण और असमानता को मिटाने के लिए सेवा करनी चाहिए, शिक्षा, रोजगार, समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण और LGBTQIAS समुदायों को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में काम करना, अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय विरासत और कला की सुरक्षा या डिजिटल विभाजन को पाटना।

उनकी गतिविधियों का कम से कम 67% निर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। यह गणना करके स्थापित किया जाना है कि, तत्काल पूर्ववर्ती तीन साल की अवधि में, इसके औसत राजस्व का 67% पात्र गतिविधियों से आया, व्यय (उसी अनुपात में) उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया गया था तथा लक्ष्य जनसंख्या के कुल लाभार्थी आधार का 67% थी। कॉर्पोरेट नींव, राजनीतिक या धार्मिक संगठन या गतिविधियां, पेशेवर या व्यापार संघ, बुनियादी ढांचा और आवास कंपनियां (किफायती आवास को छोड़कर) को एसई के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त, एनपीओ को अपात्र माना जाएगा यदि यह अपने वित्त पोषण के 50% से अधिक के लिए कॉर्पोरेट्स पर निर्भर है।

एनपीओ कैसे कैसे जुटाते हैं?

एनपीओ या तो प्राइवेट प्लेसमेंट या पब्लिक इश्यू से जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (जेडसीजेडपी) लिखित जारी कर या म्युचुअल फंड से धन जुटा सकते हैं। सेबी ने पहले माना था कि एनपीओ अपने स्वभाव से ही सामाजिक प्रभाव की प्रधानता रखते हैं और गैर-राजस्व पैदा करने वाले होते हैं। इस प्रकार, धन जुटाने के लिए एनपीओ को प्रतिभूति बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता थी। जेडसीजेडपी बॉन्ड पारंपरिक बॉन्ड से इस मायने में अलग हैं कि इसमें शून्य कूपन और परिपक्वता पर कोई मूल भुगतान नहीं होता है। उत्तरार्द्ध विभिन्न संविदात्मक समझौते के माध्यम से जुटाई गई धनराशि पर एक निश्चित ब्याज (या पुनर्भुगतान) का प्रावधान करता है, जबकि जेडसीजेडपी सामाजिक प्रतिफल का वादा करने के बजाय ऐसे किसी प्रतिफल का प्रावधान नहीं करेगा।

यह अनिवार्य है कि जारी करने की सुविधा के लिए एनपीओ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) के साथ पंजीकृत हो। साधन का एक विशिष्ट कार्यकाल होना चाहिए और केवल एक विशिष्ट परियोजना या गतिविधि के लिए जारी किया जा सकता है जिसे एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाना है जैसा कि धन उगाहने वाले दस्तावेज (एसएसई को प्रस्तुत किया जाना है) में उल्लिखित है। इसे अतीत में इसी तरह की परियोजनाओं में अपने प्रदर्शन के माध्यम से अपेक्षित विशेषज्ञता भी प्रदर्शित करनी चाहिए, इस प्रकार, निवेशकों का विश्वास हासिल करना और संभावित चूक के बारे में चिंताओं से निपटना चाहिए।

जेडसीजेडपी जारी करने के लिए न्यूनतम निर्गम आकार वर्तमान में 1 करोड़ रुपये और सदस्यता के लिए न्यूनतम आवेदन आकार 2 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। एनपीओ सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकरण करना चुन सकता है और इसके माध्यम से नहीं बल्कि अन्य माध्यमों से धन जुटा सकता है। हालांकि, उन्हें इसके बारे में जरूरी खुलासा करना होगा।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में एक गैर-लाभकारी संगठन क्या है?

गैर-लाभकारी संगठन एक इकाई है जो एक सामाजिक उद्यम के रूप में पहचाने जाने के मानदंडों को पूरा करती है और निम्नलिखित संस्थाओं में से कोई है:-

- संबंधित राज्य के लोक न्यास कानून के तहत पंजीकृत धर्मार्थ न्यास।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (धारा-21) के तहत पंजीकृत धर्मार्थ सोसायटी।
- कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 8 के तहत निगमित एक कंपनी।
- कोई अन्य इकाई जो सेबी द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में किस संस्था को लाभ के लिए सामाजिक उद्यम के रूप में पहचाना जा सकता है?

लाभ के लिए सामाजिक उद्यम एक इकाई है जो एक सामाजिक उद्यम के रूप में पहचाने जाने के मानदंडों को पूरा करती है और निम्नलिखित संस्थाओं में से कोई है:-

- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी, लाभ के लिए काम कर रही है और इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत शामिल कंपनी शामिल नहीं है।
- लाभ के लिए काम करने वाला निकाय कॉर्पोरेट।

क्या यह केवल भारतीय संस्थाओं के लिए है या अंतर्राष्ट्रीय एनपीओ भी पंजीकृत हो सकते हैं?

- केवल भारतीय संस्थाएँ ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकरण करा सकती हैं।
- एफआईआई, एफपीआई या एनआरआई निवेशकों जैसे विदेशी निवेशकों को एनपीओ फंड जुटाने में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परियोजनाओं के पूरा होने के बारे में क्या?

एनपीओ के लिए उपलब्ध एक अन्य संरचित वित्त उत्पाद विकास प्रभाव बांड है। एक परियोजना के पूरा होने पर और पूर्व-सहमत सामाजिक मैट्रिक्स पर पूर्व-सहमत लागतों/दरों पर वितरित होने पर, एनपीओ को अनुदान दिया जाता है। दाता जो सामाजिक मैट्रिक्स प्राप्त करने पर अनुदान देता है, उसे 'आउटकम फंडर्स' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

चूंकि उपरोक्त भुगतान कार्योंत्तर आधार पर है, एनपीओ को अपने परिचालनों को वित्तपोषित करने के लिए भी धन जुटाना होगा। यह एक 'रिस्क फंडर' द्वारा किया जाता है, जो प्री-पेमेंट के आधार पर संचालन के वित्तपोषण को सक्षम करने के साथ-साथ सोशल मैट्रिक्स के गैर-वितरण के साथ जुड़े जोखिम को भी वहन करता है। यदि मैट्रिक्स वितरित किए जाते हैं तो वह आम तौर पर एक छोटा रिटर्न कमाता है।

एफपीओ पैसा कैसे जुटाते हैं?

एसएसई के माध्यम से धन जुटाने से पहले फॉर-प्रॉफिट एंटरप्राइजेज (एफपीई) को सोशल स्टॉक एक्सचेंजों के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, एसएसई के माध्यम से उठाते समय इसे आईसीडीआर विनियमों के सभी प्रावधानों का पालन करना चाहिए। यह इक्विटी शेयर (मुख्य बोर्ड, एसएमई प्लेटफॉर्म या स्टॉक एक्सचेंज के इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर) जारी करके या सोशल इंपैक्ट फंड सहित वैकल्पिक निवेश फण्ड को इक्विटी शेयर जारी करके या डेब्ट इंस्ट्रुमेंट्स जारी करके पैसा जुटा सकता है।

क्या खुलासे किए जाने की जरूरत है?

सेबी के नियमों में कहा गया है कि एक सामाजिक उद्यम को एक निर्धारित प्रारूप में एक वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। रिपोर्ट का ऑडिट सोशल ऑडिट फर्म द्वारा किया जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष के अंत से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सूचीबद्ध एनपीओ, तिमाही आधार पर, विशेष रूप से श्रेणी-वार जुटाए गए धन के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं, उनका उपयोग कैसे किया गया है और अप्रयुक्त शेष राशि। जब तक आय का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है या उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक उत्तरार्द्ध को सुसज्जित करने की आवश्यकता होती है।

कर लाभ क्या हैं?

→ निवेशकों को धारा-80जी के लाभ मिलेंगे, जो एसएसई पर सूचीबद्ध एनपीओ की प्रतिभूतियों/लिखतों में सभी निवेशों को कर कटौती योग्य होने की अनुमति देते हैं और कॉर्पोरेट्स को अन्य चीजों के साथ-साथ अपनी कर योग्य आय से सीएसआर व्यय घटाने की अनुमति देते हैं।

→ कंपनियों द्वारा निवेश को उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

एसएसई का महत्व

→ एसएसई भारत में एक नई अवधारणा है और इसका उद्देश्य निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों को अधिक पूंजी देकर उनकी सेवा करना है। यह नैतिक रूप से जागरूक निवेशकों के लिए सामाजिक उपक्रमों में निवेश करना भी आसान बना देगा।

→ इसे "सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी के नियामक दायरे के तहत स्थापित किया जाएगा।

→ सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना से सामाजिक लेखा परीक्षकों के लिए अधिक अवसर पैदा होने की उम्मीद है क्योंकि विनियमन उन सामाजिक उद्यमों के लिए अनिवार्य बनाता है जो मंच पर सूचीबद्ध होने और सामाजिक लेखा परीक्षा से गुजरने के लिए धन जुटाने के इच्छुक हैं।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एसएसई के माध्यम से धन जुटाने से पहले फार-प्रॉफिट एंटरप्राइजेज (एफपीई) को सोशल स्टॉक एक्सचेंजों के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
2. केवल भारतीय संस्थाएँ ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकरण करा सकती हैं।

Que. With reference to Social Stock Exchange (SSE), consider the following statements-

1. For-Profit Enterprises (FPEs) are not required to register with social stock exchanges before raising funds through SSEs.
2. Only Indian entities can register on the Social Stock Exchange.

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

- (a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज किस तरह कार्य करता है तथा इस एक्सचेंज के माध्यम से धन जुटाने के तरीको एवं महत्त्व पर प्रकाश डालिए? (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- ❖ सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है बताएं।
- ❖ यह किस तरह कार्य करता है एवं इसका महत्त्व बताएं।
- ❖ संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।